प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.01.2026

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 04.01.2026 को वादिया श्रीमती आर्चना पान्डेय निवासी राजवाग,राजबाग मैट्रो साहिबाबाद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि दिनांक 24.12.2025 को बुद्ध बाजार से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरा फोन चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद पर धारा 303(2) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 09.01.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त अमन पुत्र ममनून निवासी एच 209 शहीदनगर, चिकम्बरपुर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष शालीमार गार्डन एक्स 01 नाले के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि साहब यह मोबाइल मैने कुछ दिन पहले एक महिला के बैग से बुद्ध बाजार से शालीमार गार्डन गाजियाबाद से चोरी किया था। जिसे आज मैं कही बैचने की फिराक में था कि आपने पकड लिया गलती हो साहब मांफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- अभियुक्त अमन पुत्र ममनून निवासी एच 209 शहीदनगर, चिकम्बरपुर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 मोबाइल फोन चोरी का बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का एक अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी।

आज दिनांक 09.01.2026 को रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित ऑफिसर्स लाउंज मे **श्री असीम अरुण, मा0 राज्य मंत्री (स्व0प्र0), समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0** एवं **श्री जे. रविन्दर गौड, पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद** द्वारा पुलिस विभाग से **सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों** के साथ गोष्ठी की गई। इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुनना, उनके अनुभवों से लाभ उठाना तथा उनके सुझावों के आधार पर पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार करना था।

गोष्ठी के दौरान सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उठाया गया जिसमे चिकित्सा बिलों के शीघ्र भुगतान कराये जाने की मांग की गई। साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा अपराध नियंत्रण एवं सामुदायिक पुलिसिंग से जुडे अपने अनुभव साझा किए, जिससे विभाग को नई रणनीतियां बनाने में मदद मिलेगी।

माननीय राज्य मंत्री महोदय एवं पुलिस आयुक्त महोदय ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की पेंशन एवं कल्याण योजनाओं के तहत इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चिकित्सा बिलों के भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने का आश्वासन दिया गया तथा बताया गया कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्य सूचीबद्व अस्पतालो मे कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। माननीय राज्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

गोष्ठी के दौरान माननीय राज्य मंत्री महोदय द्वारा (Active Aging) पर जोर दिया गया तथा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को सक्रिय रहने तथा पुलिस विभाग में योगदान देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं, बल्कि अनुभव साझा करने का नया अवसर है। सेवानिवृत्त सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए बताया गया कि वे सामुदायिक पुलिसिंग में सहयोग कर सकते हैं व अपराध रोकथाम की रणनीतियों पर सलाह दे सकते हैं ताकि आपका योगदान समाज की सुरक्षा में निरंतर बना रहे।

माननीय राज्यमंत्री महोदय द्वारा सेवानिवृत्त सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी आप पुलिस विभाग के अभिन्न अंग हैं। पुलिस विभाग की मजबूती उसके सेवानिवृत्त सदस्यों के अनुभवों पर निर्भर करती है। आप सभी ने वर्षों तक समाज की सेवा की है। आपके सुझाव पुलिस की कार्यक्षमता को और मजबूत बनाएंगे।

गोष्ठी मे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मे निवास कर रहे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त 100 से अधिक राजपत्रित अधिकारी सम्मिलित हुये।

गोष्ठी मे श्री केशव कुमार चौधरी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध, श्री धवल जायसवाल पुलिस उपायुक्त नगर, श्री निमिष पाटील पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिण्डन उपस्थित रहे।

यह आयोजन पुलिस परिवार के सदस्यों के कल्याण एवं उनके योगदान को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह गोष्ठी पुलिस विभाग की एकता एवं कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटनाओं में संलिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 4 स्कूटी, 01 मोटरसाइकिल एवं 8 मोबाइल फोन बरामद।

घटना का विवरण:दिनांक **07.01.2026** को वादी श्री सूरज कुमार पुत्र श्री कमल किशोर निवासी D-558, गली नं. 4, अशोक नगर, शहादरा, दिल्ली तथा वादी श्री राकेश रंजन पुत्र श्री जनार्दन सिंह निवासी हिमालय टावर, अहिंसा खंड, इंदिरापुरम द्वारा स्कूटी चोरी की तहरीर थाना कविनगर पर दी गई। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

कार्यवाही का विवरण:घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा किए गए अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक **08.01.2026** को निम्नलिखित अभियुक्तों को सेक्टर-03 सर्विस रोड के पास, आरडीसी, राजनगर चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया एंव गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जा रही है।

प्रशांत चौधरी उर्फ जाट बावली पुत्र श्री जीत चौधरी, निवासी मकान नं. 1155, गली नं. 07, घूकना मोड़, थाना नंदग्राम, जनपद गाजियाबाद, उम्र लगभग 27 वर्ष
मनोज पुत्र स्व. महावीर प्रसाद, निवासी मकान नं. 1181, मुकुल मेडिकल स्टोर के पास, गली नं. 07, घूकना मोड़, थाना नंदग्राम, जनपद गाजियाबाद, उम्र लगभग 25 वर्ष
विकास पुत्र देवेंद्र पाल सिंह, निवासी ग्राम दोली रघुवर दयाल, थाना इज्जतनगर, बरेली; हाल पता: फ्लैट नं. 176-C, काशीराम कॉलोनी, मधुबन बापूधाम, थाना मधुबन बापूधाम, जनपद गाजियाबाद, उम्र लगभग 20 वर्ष

पूछताछ का विवरण:अभियुक्तों ने बताया कि उनके कब्जे से बरामद मोबाइल फोन चोरी एवं झपटमारी के हैं, जिन्हें वे राह चलते व्यक्तियों से या सोते हुए लोगों की जेब से निकाल लेते थे। स्कूटी DL2SP9361 को तीनों ने मिलकर आरडीसी क्षेत्र से चोरी किया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अन्य वाहन भी चोरी कर आरडीसी सर्विस रोड पर छिपाकर खड़े किए थे, जिनमें 3 स्कूटी एवं 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल शामिल हैं। अभियुक्तों के पास इन वाहनों के कोई वैध कागजात नहीं हैं। वे इन वाहनों को ग्राहक मिलने पर मजबूरी बताकर बेच देते थे। गिरफ्तारी के समय भी वे इसी प्रकार की घटना को अंजाम देने जा रहे थे।

बरामदगी:

04 स्कूटी:

1. DL2SP9361
2. UP14FQ1904
3. UP14BV7898
4. DL4SCC9264

- 01 मोटरसाइकिल: UP14FW5902
- 08 मोबाइल फोन

आपराधिक इतिहास:अभियुक्त प्रशांत चौधरी के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में 03 चोरी, 01 लूट, 01 आयुध अधिनियम एवं 02 बरामदगी के मुकदमे पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

थाना कविनगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा ।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री महेन्द्र शर्मा थाना लोनी द्वारा की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना लोनी, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 363/376

भादवि व ¾ पोक्सो अधि0 में अभियुक्त राजू पुत्र स्व0 गप्पू मल निवासी म0न0 बी-576, नरेला दिल्ली को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 09.01.2026 को धारा- 4 पोक्सो अधि0 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 01 लाख रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा-363 भादवि में 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 11.07.2021 को थाना लोनी पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 376 भादवि व ¾ पोक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी थी।

श्री उत्कर्ष वत्स विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)	**म0मु0आ0 प्रवेशपाल** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 सुनील कुमार** पैरोकार थाना लोनी